Regd. No. CHD/0093/2012-2014



# Haryana Government Gazette

# EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 6, 2012 (PHALGUNA 16, 1933 SAKA)

## HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 6th March, 2012

No. 16—HLA of 2012/17.—The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment and Validation) Bill, 2012, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 16-HLA of 2012

### THE HARYANA DEVELOPMENT AND REGULATION OF URBAN AREAS (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 2012 A

#### BILL

further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:

1. This Act may be called the Haryana Development and Regulation of Short title. Urban Areas (Amendment and Validation) Act, 2012.

2. In clause (a) of sub-section (3) of section 3 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act. 1975 (hereinafter called the principal Act),–

- Amendment of section 3 of Haryana Act 8 of 1975.
- (i) for sub-clause (iv) ,the following sub-clause shall be substituted, namely:---
  - "(iv) to construct at his own cost, or get constructed by any other institution or individual at its cost, schools, hospitals,

community centres and other community buildings on the lands set apart for this purpose, in a period as may be specified, and failing which the land shall vest with the Government after such specified period, free of cost, in which case the Government shall be at liberty to transfer such land to any person or institution including a local authority, for the said purposes, on such terms and conditions, as it may deem fit

Provided that in case of licenses issued prior to the notification of the Hary and Development and Regulation of Urban Areas (Amendment and Validation) Act, 2012, the licensee, the purchaser or the person claiming through him shall construct the school, mospital, community centres and other community building son the land set apart for this purpose, within a period of tour years, extendable by the Director by another period of two years, for reasons to be recorded in writing, from the notification of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment and Validation) Act. 2012:

Provided further that at the end of the period as specified under the proviso, if the site is not utilised for the purpose, it was meant for, the land shall vest with the Government and in which case, the Government shall be at liberty to transfer such land to any person or institution including a local authority, for the said purposes, on such terms and conditions, as it may deem fit:

Provided further that a show cause notice and an opportunity of hearing shall be issued before vesting the land in the Government.";

- (ii) after sub-clause (iv), the following sub-clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 30th January, 1975, namely:
  - "(iv-a) to pay proportionate cost of construction of such percentage of sites of such school, hospital, community centre and other community buildings and at such rates as specified by the Director;".

3. After section 10 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely: -

"10A. Recovery of dues.—All dues payable under the Act, which have not been deposited within the time specified, shall be recovered as arrears of land revenue.".

Insertion of section 10A in Haryana Act 8 of 1975 4. After section 23 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

Insertion of section 73A in Harvaoa Act 8 of 1975.

Validation

\*23A. Power to issue directions. The Director, with the approval of the Government, may, from time to time and/or under the directions issued under section 9A by the Government, shall, assue directions as are necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act ".

5. (1) Notwithstanding any judgement, decree or order of any court or tribunal or other authority to the contrary, any action taken with regard to the recovery of proportionate cost of construction of such schools, nospitals, community centres and other community buildings, either through the issuance of executive instructions or through condition prescribed in the Bilateral Agreement executed at the time of grant of licence or through any undertaking obtained from the coloniser, or any action taken or things done or purporting to have been taken or done, before the commencement of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment and Validation) Act, 2012, shall be deemed to be as valid and effective as if such action was taken or done in accordance with the provisions of the Harver-Development and Regulation of Urban Areas (Amendment and Validation) Ac-2012 and any executive instructions or any Bilateral Agreement or any unrertaking obtained in this regard and all such recoveries made, shall be deemed to as valit and effective as if such Bilateral Agreement were executed, or executive i - sructions were issued or undertaking were obtained or recoveries were made in a cordance with the provisions as amended and validated in accordance with the rovisions contained in the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment and Validation) Act, 2012, and shall not be called in guestion in any court or tribunal or other authority:

Provided that the amount already deposited against the cost of construction of the community buildings shall be spent on the construction of such community buildings or related infrastructure within a period of five years hereafter, unless any further extension is allowed under exceptional circumstances by the Government after recording reasons thereof, and accordingly.

(i) all acts, proceedings or things done or action taken by the Government or by any other official of the Government or by any authority, in connection with the recovery of cost of construction of such schools, hospitals, community centres and other community buildings by the Director either through issuance of executive instructions or through condition prescribed in bilateral agreement or through any undertaking obtained from coloniser, for all purposes be deemed to be and to have always been done or taken in accordance with law;

- (ii) no suit or other proceedings shall be maintained or continued in any court or before any authority for the refund of any such amount already deposited or for nullification of Bilateral Agreement already made, executive instructions already issued and undertaking obtained; and
- (iii) no court or authority shall enforce a decree or order directing the refund of any such recovery of cost of construction of such schools, hospitals, community centres and other community buildings so charged or for nullification of bilateral agreement executed or any executive instructions issued or any undertaking obtained in this regard.

(2) Notwithstanding any judgement, order or decree of any court or tribunal or other authority to the contrary, if a licensee who deposited the cost of construction, full or part, on the demand of Government and later took the refund under a judgment, order or decree passed by court or tribunal or any other authority. the Government may, after the notification of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment and Validation) Act, 2012, order the recovery of the amount of construction of which the refund has been taken by the licensee under such judgment, order or decree, after giving a show cause notice and an opportunity of being heard.

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the year 1987, the Department communicated the EDC rate for residential plotted colony as Rs 3.72 lakhs oer acre and also conveyed that the said rate included an amount of Rs. 61,000/- per acre on account of the construction cost of internal community buildings that were to be transferred to Harvana Urban Development Authority for construction. The said component against construction of internal community buildings has since then increased at a rate of 10% per annum and is levied/ recovered from all the licencees as part of EDC and has also got revised/ enhanced with the revision/ enhancement of EDC rates. During the eighties when for the first time large scale licences were granted by the Department and development of colonies was underway specially in Gurgaon, it was felt that the level of increase in habitation of these colonies was not commensurate with the pace of grant of licence. The ostensible reason behind the policy decision for making such recovery against internal community buildings was to get part of the internal community buildings constructed by a Government agency expeditiously and thereby provide basic social infrastructure in the licenced colonies to encourage the habitation of such licenced colonies at a faster pace. The subject matter, however, remained under legal scrutiny in several litigations on account of which the progress in taking over of community sites as well as their construction by HUDA could not be achieved as envisaged.

The Hon'ble Supreme Court has vide orders dated 23.1.2009 in CA 8186 of 2001 held that there is no statutory basis requiring the licencee to make payment for the cost of construction of part of the internal community buildings. Accordingly, the appellants, i.e. Ansals API Ltd. have been allowed a refund of payment received at a rate proportionate to Rs. 61,000/gross acre of licenced area, for the licences granted prior to 1988 and the amount has been adjusted against its EDC dues in other licences.

Based on the above mentioned orders of the Hon'ble Supreme Court, DLF Ltd. has subsequently sought refund of the said component of cost deposited by them against all licences granted to them till date along with interest and has claimed refund of Rs. 594.6 crores, by filing Civil Writ Petition in the Hon'ble Punjab and Haryana High Court, which is being contested by the Department.

The matter would involve huge financial implications running into thousands of crores in case other licencees also stake their claim for such refund. In order to put such claims to rest, it is desirable to validate the said policy decision regarding demand of said component against construction of internal community buildings through a clear provision in the Act and also validate all actions taken in this regard earlier through a Validation Act and also mandate utilisation of the amount recovered for such purpose in a time bound manner. Further, since such enabling provision would imply that a transparent mechanism needs to be adopted for take-over and construction of such community sites in case the coloniser is not able to construct the same in a reasonable period of time, an enabling provision regarding prescribing a reasonable time, by amending Section 3(3)(a)(iv) of the Act and making enabling provision regarding taking over of such sites even if the coloniser creates further rights on the same needs to be made by amending Section 3(3)(a)(iv) of the Act. In addition, a Section 10A is also proposed to be inserted which would enable the recovery of all dues payable under this Act, which is not deposited in the specified time period, as arrears of land revenue. Finally, Section 23A is also proposed to be inserted for empowering the Director to issue directions to the colonisers from time to time for carrying out the purposes of the Act.

Hence this BILL.

BHUPINDER SINGH HOODA, Chief Minister, Harvana,

Chandigarh : The 6th March, 2012 SUMIT KUMAR, Secretary.

भाष्यिकृत अनुवाद

2012 का विधेयक संख्या 16-एन०ए०

# हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक 2012

# हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास चथा विनियमन अधिनियम, 1975, को आगे सशोधित करने के लिए विघेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

यह अधिनियम हरियाण नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन तथा संक्षिप नाम 1. विधिमान्यकरण) अधिनियम्. 2012. कहा जा सकता 🖗।

हरियण्णा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (जिसे, इसमें, 1975 के हरियाण 2 इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (क) मे \_

- अधिनियम् १ की धारा ३ क \_\_\_\_\_
- उपखण्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिरुधापित (i)किय जाएगा अर्थात : -
  - "(iv) अपने खर्च पर, या किसी अन्य संख्या या व्यक्ति 👌 स्टूर्य पर उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए अलग रही हुई भूमि पर यथा विनिर्दिष्ट अवधि में स्कूल, अस्पताल, सामदायिक केन्द्र तथा अन्य सामुदायिक निर्माण सन्तिमित करेंगा था करवायेगा तथा जिसमें असफल रहने पर ऐल विनिर्दिष्ट अवधि के बाद, भूमि सरकार को निःशुल्क निहित होगी, जिस मामले में सरकार को ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो वह **उचित** समझे उक्त प्रयोजन के **ਗਿ**ए स्थानीय प्राधिकरण सहित किसी व्यक्ति या संख्था को ऐसी भूमि का अन्तरण करने की स्वतन्त्रता होगी:

परन्तु हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम 2012 की अधिसूचना से पूर्व जारी अनुज्ञप्तियों के मामले में अनुइप्तिधारी क्रेता या उसके माध्यम से दावा करने वाला व्यक्ति हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम्. 2012 की अधिसूचना से चार वर्ष, निदेशक द्वारा अभिलिखित कारणों से दो वर्ष की दूसरी अवधि तक विस्तारयोग्य अवधि के भीतर इस प्रयोजन के लिए अलग रखी हुई भूमि पर स्कूल, अस्पताल, सामदायिक केन्द्र तथा अन्य सामदायिक निर्माण को सन्निर्मित करेगा:

यरन्तु यह और कि परन्तुक के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अवध्वे की समापित पर, यदि स्थल प्रयोजन जिसके लिए यह था, के लिए उपयोग नही किया गया है तो भूमि सरकार में निहित होगी तथा जिस मामले में सरकार को ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो वह उचित समझे, उक्त प्रयोजन के लिए स्थानीय प्राधिकरण सहित किसी व्यक्ति या संस्था को ऐसी भूमि का अन्तरण करने की स्वतन्त्रता होगी:

घरन्तु यह और कि सरकार में भूमि निहित करने से पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।" :

- (ii) उपखण्ड (iv) के बाद, निम्नलिखिन उपखण्ड रखा जाएगा तथा 30 जनवरी, 1975 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :-
  - "(iv- क) ऐसे स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक केन्द्र तथा अन्य सामुदायिक निर्माणों के स्थलों की ऐसी प्रतिशतता के सन्निर्माण की आनुपातिक लागत तथा निदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी दर पर भुगतान करना होगा ;"।

मूल अधिनियम की धारा 10 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् -

"10क. देयों की वसूली.-- अधिनियम के अधीन भुगतानयोग्य सभी देय. जो विनिर्दिष्ट समय के भीतर निक्षेप नहीं किए गए हैं, भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल किए जाएंगे। "।

मुल अधिनियम की धारा 23 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात 💬

"23क. निदेश जारी करने की शक्ति.- निदेशक, समय-समय पर. सरकार के अनुमोदन से तथा / या सरकार द्वारा धारा 9क के अधीन जारी किए गए निदेशों के अधीन निदेश जारी करेगा जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कर्पान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हैं।" ।

5. (1) किसी न्यायालय, या अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश के प्रतिकूल होते हुए भी, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ होने से पूर्व. ऐसे स्कुल्गें अस्पतालों, सामुदायिक केन्द्रों तथा अन्य सामुदायिक निर्माणों के सन्निर्माण की आनुपातिक लागत की वसूली के संबंध में की गई कोई कार्रदाई, वाहे वह कार्यकारी अनुदेशों के जारी करने के माध्यम से या अनुझाप्ति प्रदान करने के समय पर निष्पयित किए गए द्विपक्षीय करार में विहित शर्त के माध्यम से या निवेशक से प्राप्त की गई किसी वचनबद्धता के माध्यम से की गई कोई कार्रवाई या की गई कोई बात या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात इस प्रकार विधिमान्य तथा प्रभावी समझी जाएंगी मानो ऐसी कार्रवाई हरियाण: नगरीय क्षेत्र विकास तथा दिधिमान्य तथा प्रभावी समझी जाएंगी मानो ऐसी कार्रवाई हरियाण: नगरीय क्षेत्र विकास तथा दिधिमान्य तथा प्रभावी समझी जाएंगी को ई इसके संबंध में कोई कार्यकारी अनुदेश या कोई दिपक्षीय करार या प्रग्त की गई कोई वचनबद्धता तथा की गई कार्यकारी अनुदेश या कोई दिपक्षीय करार या प्रगत की गई कोई वचनबद्धता तथा की गई कार्यकारी अनुदेश या कोई दिपक्षीय करार या प्रगत की गई कोई वचनबद्धता तथा की गई समी ऐसी कस्लियां इस प्रकार विधिमान्य तथा कोई वचनबद्धता तथा की गई कार्यकारी अनुदेश या को ई सिपक्षीय करार या प्रगत की गई कोई वचनबद्धता तथा की गई समी ऐसी कस्लियां इस प्रकार विधिमान्य तथा

1975 के शरियाण अधिनियम 8 में धारा 10क का रखा जना :

1975 के हरियाण। अधिनियम 8 मे धारा 23क का रखा जान)।

िधिमान्धकरण

#### HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 6, 2012 777 (PHGN. 16, 1933 SAKA)

प्रभावी समझी जाएंगी मानो हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2012 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार यथा संशोधित तथा वैधीकृत उपबन्धों के अनुसार ऐसा द्विपक्षीय करार निष्पादित किया गया था या कार्यकारी अनुदेश जारी किए गए थे या वचनबद्धताएं प्राप्त की गई थी या वसूलियां की गई थी, तथा ये किसी न्यायालय या अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में प्रश्नगत नहीं की जाएगी :

परन्तु सामुदायिक निर्माणों के सन्निर्माण की लागत के विरुद्ध पहले से निक्षेप की गई राशि इसके बाद पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे सामुदायिक निर्माणों या संबंधित अवसंरचना के सन्निर्माण पर तब तक खर्च की जाएगी जब तक कोई आगे विस्तार, उनके कारणों को अभिलिखित करने के बाद, सरकार द्वारा अपवादिक परिस्थितियों के अधीन अनुज्ञात नहीं किया गया हो तथा तदानुसार.-

- (i) निदेशक द्वारा ऐसे स्कूलों, अस्पतालों, सामुदायिक केन्द्रों तथा अन्य सामुदायिक निर्माणों के सन्निर्माण की लागत की वसूली के संबंध में सरकार द्वारा या सरकार के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किए गए सभी कार्य, कार्यवाहियां या बातें, की गई कार्रवाइयां चाहे ये कार्यकारी अनुदेशों के जारी करने के माध्यम से या द्विपक्षीय करार में विहित की गई शर्तों के माध्यम से या निवेशक से प्राप्त की गई वचनबद्धता के माध्यम से सभी प्रयोजनों के लिए विधि के अनुसार किए गए या की गई समझी जाएंगी तथा सदैव किये गये या की गई समझी जाएंगी :
- (ii) पहले से ही निक्षेप किसी ऐसी राशि की वापसी के लिए या पहले से ही किये गये द्विपक्षीय करार के निष्प्रभावन, पहले से ही जारी किये गये कार्यकारी अनुदेशों तथा प्राप्त वचनबद्धता के लिए किसी न्यांयालय या किसी प्राधिकरण के सम्मुख कोई भी वाद या अन्य कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी या जारी नहीं रहेंगी ; तथा
- (iii) इस प्रकार प्रभारित ऐसे स्कूलों, अस्पतालों, सामुदायिक केन्द्रों तथा अन्य सामुदायिक निर्माणों के सन्निर्माण की लागत की किसी ऐसी वसूली की वापसी या निष्पादित द्विपक्षीय करार के निष्प्रभावन या इस संबंध में जारी किये गये किन्हीं कार्यकारी अनुदेशों या प्राप्त किसी वचनबद्धता के लिए कोई भी न्यायालय या प्राधिकरण किसी डिक्री या आदेश को लागू करने के निदेश नहीं करेगा ।

(2) किसी न्यायालय या अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी न्याय निर्णय, आदेश या डिक्री के प्रतिकूल होते हुए भी, यदि कोई अनुइप्तिधारी, जिसने सरकार की मांग पर सन्निर्माण की लागत का पूर्ण या उसका भाग निक्षेप कर दिया है तथा बाद में किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा पारित किसी न्यायनिर्णय, आदेश या डिक्री के अधीन वापस ले लिया है, तो सरकार, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2012 की अधिसूचना के बाद कारण बताओ नोटिस तथा सुनवाई का अवसर देने के बाद ऐसा न्यायनिर्णय, आदेश या डिक्री के अधीन सन्निर्माण की राशि जो अनुइप्तिधारी द्वारा वापस ली गई है, की वसूली के आदेश कर सकती है।

# उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

विभाग झर वर्ष 1987 में रिहायशी प्लाटिड कालोनी हेंदू ई में सी की दर को ७० 372 लाख प्रति एकड सूचित करते हुए यह भी उल्लेख किया गया कि उक्त दर में रु० 61,000 / - प्रति एकट की पर से आन्तरिक सामुदायिक भवनों के निर्माण व्यय के शामिल किया गया है, जिसे उक्त निर्माण कार्य हेतू हरियाणा शहरी विकास ्राधिकरण को इस्तान्तरित करने का प्रावतन था। आन्तरिक सामुदायिक भवनों के रिमाण हेतु निर्धारित उपरोक्त अंश में 10 प्रसिधत प्रति वर्ष की दर से दुद्धि की गई है -ाथ। सभी लाईसेंस धारको से ई.डी.सी. के साथ लागू/वसूल किया गया है, तथा ई डी सी. की दरों में संशोधन/वृद्धि के साथ इस अंश में संशोधन/वृद्धि की गई है। अस्सी के दशक में जब पहली बार वृहत स्तर पर विभाग द्वारा लाईसेस प्रदान किए गए तथा खासकर गुडगांव में लाईसंस प्रदत्त कालोनियों का टिकास होने लगा, तब यह महासस किया गया कि इन कालोनियों में लोगों के बसने की दर लाईसल प्रदान करन को दर से काफी धीमी है। आन्तरिक ामुदायिक भवनों के आंशिक निर्माण व्यय की उसूली ईतु लिय गये नीतिगत निर्णय के पीछे प्रायः यही कारण है कि कम से कम आंशिक सामुदायिक भवनों का निर्माण सरकारी क्षेत्र के किसी संगठन द्वारा जल्ही करवाया जाये जिससे कि सामाजिक आधारभूत संरचना की स्थापना हो सके एना लाईसैंस प्रदेश कालोनियों में लोगों के बसने की दर में यद्धि हो सके। हालांकि, यह विषय, कई मुकददमों में क'नूनी ंधीक्षा का मुद्दा बन। रहा है जिसके कारण, सामुदार्यक रूपलों के हस्तांतरण तथा उनके हुडा द्वारा निमां में प्रयाद परिकल्पना के अनुरूप नहीं हो सकी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सिविल अणील 8186/2001 के अपने आदेश दिनांक 23.1.2009 द्वारा यह निर्देश दिया गया कि किसी लाईसेंस धारक द्वारा सरकार के पक्ष में आन्तरिक सामुदायिक भवनों के निर्माण च्यय जमा कराने बारे में कोई वैधानिक आधार नहीं है । तदानुसार अपीलकर्त्ता, यानी, अंसल ए.पी.आई. लिमिटेड को रुपये 61,000/- प्रति एकड की दर से उनके 1988 के पूर्व प्रदत्त लाईसेंस क्षेत्र के अपर किये गये मुगतान राशि की जपसी मंजूर की गई तथा इस राशि को उनके अन्य लाईसेंस के बकाया ई.डी.सी, राशि के सापेक्ष समायोजित किया गया:

इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त उपदेश को आधार बनाते हुए डी एल.एफ लिमिटेड द्वारा उनको प्रदान किये गये आज तक के सभी लाईसैंस में जमा करवाये गये आन्तरिक सामुदायिक भवनों के आंशिक निर्माण व्यय की कुल राशि को ब्याज सहित वापस करने हेतु रुपये 594.6 करोड़ का दावा किया गया है, तथा इस बारे में माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका दायर की गई है, जिसका समुचित जवाब इस विभाग द्वारा दायर किया जा चुका है।

यदि अन्य सभी लाईसँस धारक इस तरह के भुगतन वापसी हेतु दावे प्रस्तुत करते हैं तो इस मामले में कुल वित्तीय बोझ कई हजार करोड़ रुपये तक बन सकता हे ऐसे सभी दावों को खत्म करने हेतु यह आवश्यक है कि आन्तरिक सामुदायिक मवनों के निर्माण व्यथ की आंशिक वसूली हेतु लिये गये नीतिगर निर्णय की वैधीकरण हेतु कानूनी प्रावधान किया जाये तथा इस धारे में लिये गये पूर्व निर्णयों को वैधीकरण आधनियम द्वारा वैधानिक स्वरूप दिया जाये, तथा इस हारे में यसूल की गई राशि को खर्च करने हेतु निश्चित समय सीमा का निर्धारण किया जाये।

### HARYANA GOVT. GAZ. (LXTRA.), MAR. 6, 2012 779 (PHGN: 16, 1933 SAKA)

इसके अलावा चूंकि ऐसे समर्थकारी प्रावधानों के लागू होने के उपरात ऐसे सभी मामलों में जहां कालोनाई र दारा एक उचित समय अवधि में राग्मूदायिक रथलों का निर्माण पूर्ण नहीं किया जाता है, वहां इसके हस्तातरण तथा निर्माण हेतु एक पारदर्श तन्त्र के स्थापना की आवश्यकता है । इसके लिए उचित समय अवधि निश्चित करने हेतु धारा 3(3)(क)(iv) में समर्थकारी प्रावधान जालने हेतु तथा ऐसे सभी मामलों में जहां कालोनाई जर द्वारा इन स्थलों को आगे हस्तांतरित किया जा चुका है लेकिन उचित समयावधि में निर्माण पूर्ण नहीं किया गया तो स्थल को सरकार के पक्ष में हस्तावरण हेतु समर्थकारी प्रावधान करने बारे अधिनियम की धारा 3(3)(क)(iv) में संशोधन प्रस्तावित है। इसके अलावा उक्त अधिनियम की धारा 3(3)(क)(iv) में संशोधन प्रस्तावित है। इसके अलावा उक्त अधिनियम में एक धारा 10-क को जोड़ने का पस्ताव है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत देय सभी बकाया राशि, जो निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं करवाया गया हो, की वसूली गुमि राजस्व के बकाया के रूप में करने हेतु आवश्यक प्रावधान करता है। अन्त 1, उक्त अधिनियम में एक धारा 23-क को जोड़ने का प्रस्ताव है, जो निदेशक द्वारा कालोनाईजरों को समय समय पर अधिनियम के उद्देश्यों की प्राविंग के लिए आवश्यक निर्देश देने हतु स्वयक्त करता है।

अत यह विधेयक प्रस्तुत है ।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा मुख्य मंत्री. हरियाणा

-----

सुमित कुमार, संचित्र।

चण्डीगढ़ : 6 मार्च, 2012

49676-H.V S - H.G.P., Chd.